भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5678
दिनांक 27 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम का कार्यान्वयन

5678. **एडवोकेट प्रिया सरोजः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के ऐसे कार्यालयों की संख्या कितनी है जहां कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक समय-सीमा के भीतर आंतरिक शिकायत समितियों का गठन नहीं किया गया है;

(ख) 90 दिन की अनिवार्य जांच अवधि के बाद कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं, निपटाई गई/लंबित रहीं हैं और विलंब के दर्ज किए गए कारण क्या हैं;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जहां मंत्रालयों/संबद्ध कार्यालयों द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी;

(घ) उक्त समितियों के अनुचित गठन, इनके हितों के टकराव/कार्य न किए जाने के संबंध में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कार्यालयों से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) उक्त अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत अनुपालन न करने वाले प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक/दंडात्मक कार्रवाई की गई है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम**,** 2013 (पोश अधिनियम) के तहत उपयुक्त सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने और अधिनियम के तहत दर्ज और निपटाए गए मामलों की संख्या पर डेटा बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने पोश अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 29 अगस्त, 2024 को डिजिटल गवर्नेंस पहल के रूप में लैंगिक उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) पोर्टल (https://shebox.wcd.gov.in/) का शुभारंभ किया। 25 मार्च, 2026 तक, केंद्रीय सरकारी कार्यालयों जिनमें मंत्रालय, विभाग और उनके संबद्ध कार्यालय शामिल हैं की 2,223 आंतरिक समितियों (आईसी) का विवरण पोर्टल पर अद्यतन कर दिया गया है।

शी-बॉक्स पोर्टल एक आईटी सहायता है जिसका उद्देश्य जिलों में गठित स्थानीय समितियों और 10 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों पर गठित आतंरिक समितियों के बारे में जानकारी के प्रसार को सुगम बनाने के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करना है। इससे किसी भी पीड़ित महिला को सुरक्षित और परेशानी मुक्त तरीके से शिकायत दर्ज करने और उसकी प्रगति पर नज़र रखने में सहायता मिलती है। हालांकि, पोश अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से, संबंधित सरकारों को अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 25.03.2026 तक, पोर्टल के लॉन्च होने के बाद से कुल 334 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 128 शिकायतों का निपटारा हो चुका है, जबकि 152 शिकायतें 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं।

अधिनियम के तहत जवाबदेही और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, पोर्टल पर आईसी को अपनी वार्षिक रिपोर्ट अपलोड करने और अधिनियम के अनुसार संबंधित जिला अधिकारियों को रिपोर्ट जमा करने की पुष्टि करने का विकल्प दिया गया है। 25.03.2026 तक, केंद्र सरकार जिनमें मंत्रालय, विभाग और उनके संबद्ध कार्यालय शामिल हैं द्वारा कुल 117 वार्षिक रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी हैं।

यह पोर्टल कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज कराने के लिए प्रत्येक महिला के लिए एक एकल-खिड़की पहुंच मंच के रूप में कार्य करता है, चाहे उनकी रोजगार की स्थिति कुछ भी हो चाहे वे सार्वजनिक या निजी, संगठित या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हों। जिला और राज्य स्तर पर इस अधिनियम के कार्यान्वयन की

जिम्मेदारी संबंधित सरकार की है, जिसके तहत अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करना और कार्यस्थल जो राज्य द्वारा स्थापित, स्वामित्व, नियंत्रित या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधि से पूर्णतः या काफी हद तक वित्तपोषित है से संबंधी महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के सभी मामलों के संबंध में दर्ज और निपटाए गए मामलों की संख्या के आंकड़े रखना आवश्यक है।
